

7/2/2020
J. C. M. S. J.

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज 0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/20/ 1233

दिनांक: 27/8/2020

संशोधित अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 631 दि.19.06.2020 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (b) के खण्ड (ग) संपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से कं. सं. 2 जिला जयपुर में चतुर्थ श्रेणी की नवगठित नगर पालिका पावटा घोषित की गई थी। नवगठित नगर पालिका "पावटा - प्रागपुरा" की वर्तमान सीमा में ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड, ललाना की सीमा को सम्मिलित किया जाता है। अतः वर्तमान सीमा निम्न प्रकार से हो जावेगी :-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम
02.	जयपुर	पावटा-प्रागपुरा	ग्राम पंचायत पावटा का राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर, ग्राम पंचायत प्रागपुरा का राजस्व ग्राम प्रागपुरा, ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड, ललाना

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/20/ 1300-1364 दिनांक: 27/8/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री /मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
04. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
13. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबंधित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पंचायत.....
17. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी